



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062023-246285
CG-DL-E-05062023-246285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2326]

No. 2326]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2023/ज्येष्ठ 15, 1945

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2023/JYAISHTHA 15, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2023

का.आ. 2436(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26क और निक्षेपागार, अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अपर सत्र न्यायाधीश-03, दक्षिण-पश्चिम जिला, द्वारका, दिल्ली के न्यायालय को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी के प्रयोग हेतु उपर्युक्त अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[फा. सं. 10/49/2017-पीएम]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June 2023

S.O. 2436(E).—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 26A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Delhi, hereby designates the Court of Additional Sessions Judge-03, South-West District, Dwarka, Delhi, as Special Court for the purposes of the aforesaid Acts, to exercise jurisdiction in the Union territory of Delhi.

[F. No. 10/49/2017-PM]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.